

प्रेस नोट-
थाना-एरच, जनपद-झाँसी

दिनांक-20.07.2026

➤ **थाना एरच पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के 74 अभियोगों से संबंधित करीब 1,300 लीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपमा कुलश्रेष्ठ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन के क्रम में आज दिनांक 20.07.2026 को थाना रक्सा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के 74 अभियोगों से संबंधित करीब 1,300 लीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना एरच पर आबकारी अधिनियम से संबंधित 74 अभियोगों से संबंधित दाखिल माल/ करीब 1,300 लीटर अवैध शराब के विनिष्टीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय, झाँसी से पत्राचार करते हुए अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित माल को नष्ट करने हेतु आदेश प्रदान किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये आज दिनांक 20.07.2026 को थाना स्थानीय के मालखाना में 74 अभियोगों से संबंधित करीब 1,300 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार वीडियोग्राफी व पंचनामा करते हुये 1. क्षेत्राधिकारी गरौठा श्री पीयूष कुमार पाण्डेय, 2. नायब तहसीलदार क्षेत्र बामौर, गरौठा श्री अमन कुमार, 3. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 04 गरौठा, 4. थानाध्यक्ष एरच उ0नि0 श्री रूपेश कुमार, 5. अभियोजन अधिकारी गरौठा, झाँसी श्री नीरज सिंह, 6. हे0मु0 अखिलेश कुमार थाना एरच व थाना हाजा पर मौजूद अन्य पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में जमीन के अन्दर पर्याप्त गड्ढा खोदकर विनिष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान वातावरण का विशेष ध्यान रखा गया।

विनष्ट किये गये माल का विवरण- आबकारी अधिनियम से संबंधित 74 अभियोगों से संबंधित दाखिल माल/ करीब 1,300 लीटर अवैध शराब।

विनष्टीकरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित टीम का विवरण-

1. क्षेत्राधिकारी गरौठा श्री पीयूष कुमार पाण्डेय,
2. नायब तहसीलदार क्षेत्र बामौर, गरौठा श्री अमन कुमार,
3. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 04 गरौठा,
4. थानाध्यक्ष एरच उ0नि0 श्री रूपेश कुमार,
5. अभियोजन अधिकारी गरौठा, झाँसी श्री नीरज सिंह,
6. हे0मु0 अखिलेश कुमार थाना एरच.